

(Authoritative English text of this Department No. Home(A)A(1)7/08 Vol-II dated 1st October, 2015 as required under Article 348 (3) of the constitution of India.)

**Government of Himachal Pradesh
Home Department**

No. Home(A)A(1)7/08 Vol-II

Dated: the Shimla-2

1st October, 2015

In exercise of the powers conferred by clause(s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 read with section 11 sub section (1) of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No. 17 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to transfer the Villages as enumerated in column No.(3) from the local area of the Police Station mentioned in column (4) to the local area of the Police Station mentioned in column (5) of the Schedule given below thereof, with effect from the date of publication of this notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

SCHEDULE

Sr. No.	Name of Gram Panchayat	Name of Villages contained in Gram Panchayat specified in Column No. 2	Police Station from which transferred by this Notification.	Police Station which hereinafter included
1.	2.	3.	4.	5.
1	Gram Panchayat, Dhandherwari	1. Dhandherwari	Police Station Rohru district Shimla.	Police Post Dodra-Kawar under Police Station Chirgaon
2	Gram Panchayat, Kwar	1. Kwar 2. Katol 3. Boksher 4. Chaidhar	-do-	-do-
3.	Gram Panchayat, Dodra	1. Dodra 2. Pujarli 3. Chamdhar	-do-	-do-
4.	Gram Panchayat, Jiskun	1. Bhawta 2. Matyantu 3. Pandar 4. Pattadobu 5. Tawalidhar	-do-	-do-

5.	Gram Panchayat, Jakha	1. Jakha 2. Dhara	-do-	-do-

By order

Chief Secretary (Home) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. Home(A)A(1)7/08 Vol-II Dated: Shimla-2 1st October,2015

Copies forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1 All the Administrative Secretaries to the Govt. of HP. Shimla-2.
- 2 The Financial Commissioner (Revenue) to the Govt. of HP, Shimla-2.
- 3 The DLR-cum-Dy. Secretary (Law) to the Govt. of HP.
- 4 The Director General of Police, Himachal Pradesh, Shimla-2.
- 5 The Inspector General of Police, Southern Range, Shimla, HP.
- 6 The District Magistrate, Shimla, District Shimla, HP.
- 7 The Superintendent of Police, Shimla, District Shimla, HP.
- 8 The Controller, Printing & Stationery Deptt. HP Shimla-5 for publication in the Rajpatra. He is requested to make available a copy of Rajpatra to this Deptt.
- 9 Guard File.

Under Secretary (Home) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
गृह विभाग

संख्या: गृह (ए)ए(1)७ / ०८ वॉल्यूम-II तारीख
अधिसूचना

1 अक्टूबर, 2015

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्याकं 17) की धारा 11 की उपधारा (1) के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश प्रकाशित किए जाने की तारीख से निम्नलिखित अनुसूची की स्तम्भ संख्या (3) में यथा वर्णित गांवों को स्तम्भ संख्या (4) में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र से स्तम्भ संख्या (5) में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्रों में अन्तरित करते हैं; अर्थातः—

अनुसूची

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत का नाम	स्तम्भ संख्या 2 में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत में अन्तर्विष्ट गांवों के नाम	पुलिस थाना जिससे इस अधिसूचना द्वारा अन्तरित किए गए हैं	पुलिस थाना जिसमें इसके पश्चात सम्मिलित होंगे
1.	ग्राम पंचायत, धंदरवाडी	1. धंदरवाडी	पुलिस थाना रोहडू जिला शिमला	पुलिस थाना चिड़गांव के अन्तर्गत पुलिस चौकी डोडरा क्वार
2.	ग्राम पंचायत, क्वार	1. क्वार 2. कटोल 3. बुकसेर 4. चैईधार	—यथोपरि—	—यथोपरि—
3.	ग्राम पंचायत, डोडरा	1. डोडरा 2. पुजारली 3. चमधार	—यथोपरि—	—यथोपरि—
4.	ग्राम पंचायत, जिसकून	1. भौटा 2. मत्यान्टू 3. पंडार 4. पटटाडोब 5. तवालीधार	—यथोपरि—	—यथोपरि—
5.	ग्राम पंचायत, जाखा	1. जाखा 2. धारा	—यथोपरि—	—यथोपरि—

आदेश द्वारा

मुख्य सचिव (गृह)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: गृह (ए)ए(1)7 / 08 वॉल्यूम-II तारीख शिमला-2
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1 अक्टूबर, 2015

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव, हि0प्र0, सरकार शिमला-2 ।
- 2 वित्तायुक्त (राजस्व), हि0प्र0, सरकार शिमला-2 ।
- 3 उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि) हि0प्र0 सरकार, शिमला-2 ।
- 4 पुलिस महानिदेशक, हि0प्र0, शिमला-2 ।
- 5 पुलिस महानिरीक्षक, दक्षिण खण्ड, शिमला हि0प्र0 ।
- 6 जिला दण्डाधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0 ।
- 7 पुलिस अधीक्षक, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0 ।
- 8 नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0प्र0 शिमला-5 को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि वे इस अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित करके राजपत्र की प्रति इस विभाग को उपलब्ध करवाने की कृपा करें ।
- 9 सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हि0प्र0 सरकार शिमला-2 ।
- 10 वरिष्ठ विधि अधिकारी विधि विभाग (राजभाषा खण्ड) हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिमला-2 ।
- 11 गार्ड नस्ति ।

अवर सचिव (गृह)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।